

अंचल अधिकारी का न्यायालय, गोमिया (बोकारो)।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

झारखण्ड राज्य सरकार

बनाम

आदेश पत्रक ता0- 01/02/25 से

तक

जिला- बोकारो

केश सं0- 58/2024-25

परन सिंह एवं अन्य

केश का प्रकार- झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण।

आदेश क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
01/02/2025	राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक अंचल कार्यालय, गोमिया के द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-करमो के खाता सं0-30, प्लॉट सं0-39, रकवा- 19.25 ए0 भूमि गैरमजरूआ खास खाते की है, जिसमें 1. परन सिंह, पिता- रामधन सिंह, 2. मनोज सिंह, पिता- सोमर सिंह, 3. मेघलाल सिंह, पिता- द्वारिका सिंह, 4. जयलाल सिंह, पिता- द्वारिका सिंह, 5. अर्जुन सिंह, पिता- मोहन सिंह, 6. संजय सिंह, पिता- भरत सिंह, 7. अजय सिंह, पिता- भरत सिंह, 8. किशोरी सिंह, पिता- लक्ष्मण सिंह, 9. विनोद सिंह, पिता- लक्ष्मण सिंह, 10. पचन सिंह, पिता- उत्तम सिंह, 11. सुरेश सिंह, पिता- सोहन सिंह, 12. बुधन सिंह, पिता- सोहन सिंह, 13. जयलाल सिंह, पिता- सोहन सिंह, 14. छोटन सिंह, पिता- कन्हाई सिंह, 15. विपिन सिंह, पिता- कन्हाई सिंह, 16. परमो सिंह, पिता- कन्हाई सिंह, 17. धरम सिंह, पिता- हरि सिंह, ग्राम- करमो, थाना-चतरोचट्टी, जिला-बोकारो के द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है, जो झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा 6(1)(e) के अंतर्गत सार्वजनिक भूमि है। अतः झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा-3 के तहत उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक- 24/02/25 को उपस्थापित करें।  अंचल अधिकारी, गोमिया	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 328 Notice 05/02/25

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
24.02.2025	अभिलेख उपस्थापित। विपक्षी द्वारा हाजिरी दिया गया। उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित प्रस्तुत राजस्व कागजातों के अवलोकन के पश्चात् प्रथम दृष्टया यह अवैध जमाबंदी का मामला प्रतीत होता है। वर्णित परिस्थिति में इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। साथ ही प्रतिवादियों के विरुद्ध BLR Act, 1950 की धारा 4(h) की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु संबंधित राजस्व उप निरीक्षक से प्रतिवेदन की माँग करें।  अंचल अधिकारी, गोमिया।	199 08/03/25 to K.C.